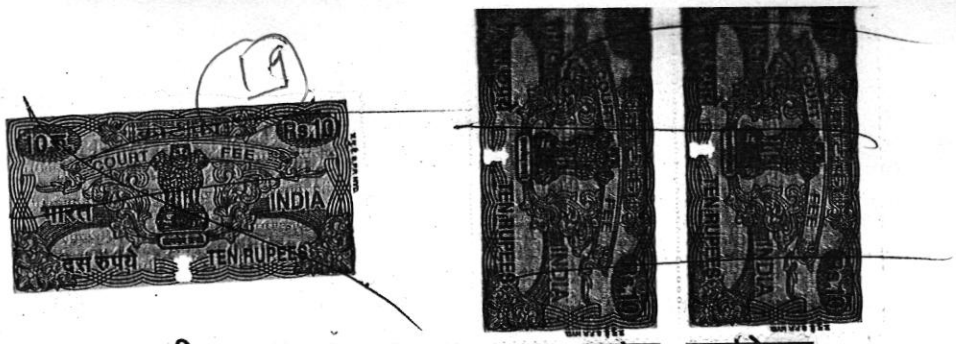

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

III) निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2372

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणेशराम आयु 53 वर्ष
जाति रघुवंशी, व्यवसाय–खेती, निवासी–ग्राम महल
मौहल्ला, तहसील शाढ़ोरा जिला अशोकनगर
म.प्र. .....रिवीनजनकर्ता

श्री शंकर सिंह तोमर, एड.
द्वारा आज दि. 25-7-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग
जिला ग्वालियर म.प्र.
2. श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,
जिला अशोक नगर म.प्र.
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान तहसीलदार
तहसील शाडोरा जिला अशोकनगर म.प्र.

.....प्रतिरिवीजनकर्ता

Copy received
R.V.S
27/7/17

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्रकरण क्रमांक 6/15–16/निगरानी के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, निगरानीकर्ता की स्वत्व स्वामित्व एवं आधिप्रत्य की भूमि से लगे हुए भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े जिन्हें निगरानीकर्ता द्वारा व्यवस्थित किया

revision (Highcourt)17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III / निगरानी / अशोकनगर / 2017 / 2372

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 28–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की पात्रता न होने के बावजूद भी प्रकियात्मक त्रुटि से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर तहसीलदार द्वारा किये गये व्यवस्थापन को निरस्त किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	